न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-216RAAJodhpur2024-518RTA223 Virendrasingh ors Vs Dolat Kanwar etc

1. विरेन्द्रसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह जी, जाति राजपूत
2. पूजाकंवर पुत्री श्री कल्याणसिंह जी, जाति राजपूत
3. अनिताकंवर पुत्री श्री कल्याणसिंह जी, जाति राजपूत
4. सुआकंवर पुत्री श्री कल्याणसिंह जी, जाति राजपूत
5. अशोकसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत
6. मनोहरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत
7. विजयसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत

निवासीगण ग्राम बारू, तहसील बाप, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. दौलतकंवर पुत्री गंगूसिंह जाति राजपूत निवासी भानीड़ा, तहसील व जिला चुरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला फलोदी
3. समंद कंवर पत्नी स्व. श्री खीवसिंह जाति राजपूत, निवासी– 37 बी, नारायण विहार, रमजान जी का हत्था बनाड़ रोड़ जोधपुर।
4. मनोहरसिंह भाटी पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम बारू, तहसील बाप, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 नवंबर 2024 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 151/2023 विरेन्द्रसिंह व अन्य बनाम दौलत कंवर इत्यादि

उपस्थित–

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो
श्रीमती अर्चना चौहान, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 22 मई 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 151/2023 अनवान विरेन्द्रसिंह व अन्य बनाम दौलत कंवर इत्यादि में पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 नवंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 29 नवंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 91 व 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम गांव बारू तहसील बाप के खेत खसरा नंबर 1255 रकबा 57.6919 हैक्टेयर आयी हुई है जो पूर्व में खसरा नंबर 1255/2 रकबा 109.17 बीघा के रूप में वादी संख्या एक ता तीन के दादा व वादी संख्या पांच से सात के पिता भूरसिंह पुत्र शवदानसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। भूरसिंह के फौत होने पर उक्त भूमि विरासत में वादीगण को प्राप्त हुई। वर्तमान खाता एकीकरण के कारण उक्त भूमि खसरा नंबर 1255 रकबा 57.6919 हैक्टेयर के रूप में दर्ज की गई। भूरसिंह ने उक्त भूमि के किसी भाग का बेचान प्रतिवादी संख्या एक को नही किया, इसके बावजुद भी 50 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या एक के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 753 के दर्ज की गई। वादीगण द्वारा उक्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या दो राज्य सरकार की ओर से जबाब दावा पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 नवंबर 2024 के जरिये वादीगण के वाद को खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी गण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं जबानी शहादत पर गौर किये बिना तथा उक्त अखण्डित साक्ष्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। रेस्पो. संख्या एक की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत दावे का कोई जबाब पेश नही किया गया एवं न ही प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश की गई। वादी की अखण्डित साक्ष्य को नही मानने के कोई कारण नही थे। पटवारी द्वारा पत्रावली पर जो मौका रिपोर्ट पेश की गई, उससे भी वादी के वाद पत्र में वर्णित कथनो की पुष्टि होती है एवं इससे यह साबित है कि प्रतिवादी का विवादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमि पर कोई कब्जा भी कभी भी नही रहा है। इन परिस्थितियो में प्रतिवादी के नाम जो इन्द्राज किये गये वे जाहिरा तौर पर गलत साबित होते है एवं वादीगण का दावा डिक्री किया जाना चाहिये था। विचारण न्यायालय ने ऐसे राजस्व रेकर्ड को आधार मानकर वादी का दावा खारिज किया है जो एक गलत नामान्तरकरण के आधार पर तैयार किया गया था एवं जिन इन्द्राजो को वाद में चुनौती दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 753 बिना किसी आधार पर स्वीकार किया गया, क्योकि खातेदार भूरसिंह द्वारा कभी भी कोई बेचान प्रतिवादी संख्या एक के पक्ष में निष्पादित ही नही किया गया एवं बिना बैचान के नामान्तरकरण स्वीकार किया गया, उसकी कोई कानूनी एहमीयत नही है। वादी द्वारा पत्रावली पर दो बेचान पत्र की नकले पेश की गई, जिनके अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि भूरसिंह द्वारा कोई बेचाननामा प्रतिवादी संख्या एक के पक्ष में नही किया गया। दोनो बेचान पत्रो की नकलो के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट था कि प्रतिवादी संख्या एक के नाम बिना किसी आधार के नामान्तकरण स्वीकार किया गया। यह उल्लेखनीय है कि वादी का मुख्य रूप से कथन यही रहा है कि खातेदार भूरसिंह ने वास्तव में कोई बेचान किया ही नही। यदि प्रतिवादीनी के पक्ष में कोई बेचान किया हुआ होता तो अवश्य ही प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश करती, लेकिन वह स्वयं इस तथ्य को जानती थी कि उसके पक्ष में कोई बेचान किया ही नही गया अन्यथा वह स्वयं इस सम्बन्ध में साक्ष्यो के बयान इत्यादि करवा सकती थी एवं असल बेचाननामा न्यायालय में पेश कर सकती थी। प्रतिवादीनी का चुप रहना यह साबित करता है कि वास्तव में उसके पक्ष में कोई बेचान हुआ ही नही। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी साबित है कि प्रतिवादीनी का विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा ही नही है एवं न उसने कभी कब्जा करने का कोई प्रयास किया। तमाम परिस्थितियॉ वादीगण के पक्ष में होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का दावा खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में विधि विरूद्ध तरीके से पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बहाल रखे जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनाक 22 नवंबर 2024 को अपास्त किया जावे एवं माफिक अनुतोष वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पो. संख्या एक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या एक की खरीदसुदा खातेदारी की भूमि है। रेस्पोडेंट संख्या एक के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा के प्रभावी रहते अपीलांट्स को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होने है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा को कूटरचित बताया है। कानूनन पंजीबद्ध दस्तावेजी की वैधता पर प्रश्न चिन्ह उठाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं है। वादीगण का वाद साबित नहीं होने से विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये विधिसम्मत रूप से खारिज किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

रेस्पो. संख्या तीन व चार के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मूल रूप से अपीलांट्स एवं रेस्पो. संख्या एक के मध्य विवाद है। रेस्पोडेंट संख्या तीन व चार का उक्त विवाद से कोई सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या तीन व चार की भूमि को अपील से मुक्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं तहसीलदार बाप की ओर से प्रस्तुत पटवारी हल्का बारू की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक के नाम दर्ज भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त होने के कथन किये गये है। अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य/गवाह पी.डब्ल्यू–1 मनोहरसिंह एवं पी.डब्ल्यू–2 शैतानसिंह द्वारा अपनी जिरह में वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त स्वीकार किया है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से भी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है। ऐसी स्थिति में मामला पुनः विचारण न्यायालय को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिप्रेषित कर वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत विधिनुसार निस्तारित किये जाने के निर्देश दिया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 151/2023 अनवान विरेन्द्रसिंह व अन्य बनाम दौलत कंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 नवंबर 2024 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए रेस्पोडेंट का जवाब लेकर वाद एवं जवाब के आधार पर तनकीयात कायम कर उभय पक्ष को साक्ष्य–सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार मामले का पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर